

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No-----Memo-----

Dated-----9-10-2015-----

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.993 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Santi Bazar-Matkhal-Talla Doba motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of Nauta Katarmal Mathkhal and **Talla Doba** villages in **Garur** Tehsil.

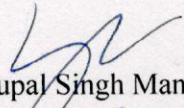
It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.993 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 9-10-2015

Signature


(Bhupal Singh Manral,)
District Collector
Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.993 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरुड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक १-१०-२०१३

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिला मुख्यालय
बागेश्वर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 09-10-2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 21.09.2015 द्वारा शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग के लिए 0.993 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अमस्यारी से बूंगा तक मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग के लिए 0.993 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग के लिए 0.993 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6
प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- गरुड़

उपखण्ड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (०.५५२ है० आरक्षित वनभूमि, ०.११३ है०, सिविल सोयम वन भूमि, ०.५५० है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल ०.११३ है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरुड़ की दिनांक 21.09.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एस०एस०जंगपांगी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री एस०एस०जंगपांगी,	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री दलीप कुमार,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्रीमती ममता पाडे	बी०डी०सी० क्षेत्र, कटारमल	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु ०.११३ है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरुड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०९.११.७७ है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड़
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर (उ० ख०)
जनपद बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मल्ला डोबा
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (०:०.० है० आरक्षित वन भूमि, ०:११.३ है० सिविल सोयम भूमि, ०:०० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ०:११.३ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मल्ला डोबा द्वारा दिनांक 19/08/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मल्ला डोबा एवं तल्ला डोबा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि० ख० - गरुड़ (बागेश्वर)

ममता पाण्डे
सदस्य
क्षेत्र पंचायत कटारमल
वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर)

प्रधान
ग्राम पंचायत मल्लाडोबा ह०/
वि० ख० गरुड़ (बागेश्वर) प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सचिव
वन पंचायत नौटा-कटारमल
गरुड़, जिला बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

दिनांक 19/08/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मल्ला डोबा

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	चन्द शेरवत पाण्डे ग्राम - मठखाल (म. डोबा)	
(2)	बाला दत्त शर्मा " " " "	Bala datt
(3)	रामेश्वर सिंह राय बल्लरानी (म. डोबा)	Ramesh Singh
(4)	राम सिंह मेहरा " "	Ram Singh
(5)	शेरवत नन्द शर्मा " " " "	Shervat Nand Sharma
6	लीला धर शर्मा " " " "	Leela Dhar Sharma
7	नवीन चन्द पाण्डे " " " "	Naveen Chandra Pandey
(8)	गिरिश चन्द शर्मा " " " "	Girish Chandra Sharma
(9)	नारायण दत्त शर्मा " " " "	Narayan Datt Sharma
10	मैन सिंह " " " "	Mann Singh
11	विश्वराम शर्मा " " " "	Vishwaram Sharma
12	नारायण शर्मा " " " "	Narayan Sharma

सरपंच

ग्राम पंचायत नौटा-कटारमल
बागेश्वर, जनपद बागेश्वर

ममता पाण्डे

क्षेत्र पंचायत कटारमल
वि० ख० ग० (बागेश्वर)

ग्राम पंचायत मल्ला डोबा
वि० ख० ग० (बागेश्वर)

शेरवत चन्द पाण्डे
उपस्थित
नौटा कटारमल

प्रधान

ग्राम पंचायत मल्ला डोबा
वि० ख० ग० (बागेश्वर)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कटाखोल
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (०.००० है० आरक्षित वन भूमि, ०.११३ है० सिविल सोयम भूमि, ०.००० है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ०.११३ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कटाखोल द्वारा दिनांक 18/08/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कटाखोल एवं कटाखोल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम कटाखोल
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कटाखोल
वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)

ममता पांडे
सदस्य
क्षेत्र पंचायत कटारमल
वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)

उपप्रधान
ग्राम पंचायत (कटाखोल)
वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)
उपप्रधान
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सत्यत
13/8/15
वन पंचायत नौटा-कटारमल
गरुड़, जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

दिनांक 18/08/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कटारमल

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	महेश्वर प्रसाद गुप्ता	महेश्वर प्रसाद
(2)	भवानी दत्त जोशी - तारतपनी (कपलगा)	भवानी दत्त
(3)	मोहन चन्द जोशी - " "	M. C. Joshi
(4)	रवीमानन्द शर्मा - " "	रवीमानन्द शर्मा
(5)	गोपाल दत्त शर्मा - " "	G. D. Sharma
(6)	हरीश चन्द्र शर्मा - कटारमल	H. R. Shetty
(7)	शेखर चन्द्र जोशी	Sh. Ch. Joshi
(8)	लक्ष्मण शर्मा	L. S. Sharma
(9)	जानकी शर्मा	J. S. Sharma
(10)	Mukul Bhatt	M. Bhatt
(11)	अशोक शर्मा	A. S. Sharma
(12)	चन्द्र दत्त शर्मा	C. D. Sharma
(13)	संतोष शर्मा	S. S. Sharma
(14)	मिश्र चन्द्र शर्मा	M. S. Sharma
(15)	चन्द्र शर्मा	C. S. Sharma

समता पाण्डे
क्षेत्र पंचायत कटारमल
बि० सं० गुरुद (बागेश्वर)

उपप्रधान
ग्राम पंचायत (कटारमल)
बि० सं० गुरुद (बागेश्वर)
शेखर चन्द्र जोशी
अध्यक्ष

सरपंच
ग्राम पंचायत गौटा-कटारमल
गुरुद, बागेश्वर